न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 1107/2017

1. ग्यारसीलाल पुत्र रामनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम अजमेरीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।
2. मंगलराम पुत्र रामनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम अजमेरीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट्स–

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र मूल्या
2. गोपाल पुत्र मूल्या
3. किशन पुत्र रामकुंवार
4. श्रवण पुत्र रामकुंवार
5. हंसा पुत्र रामकुंवार
6. मथुरा बेवा रामकुंवार

समस्त जाति मीणा, निवासीयान ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हरलाल सिंह अपीलांट की ओर से।

2– श्री निर्मल जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–23.03.2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017, वाद संख्या 116/2012, उनवानी रामकल्याण बनाम ग्यारसीलाल व अन्य प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 1/866 रकबा 0.08 हैक्टै0, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.30 हैक्टै0, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.09 हैक्टै0, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.08 हैक्टै0, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.13 रकबा 0.13 हैक्टै0, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.02 हैक्टै0, खसरा नम्बर 658 रकबा 0.14 हैक्टै, कुल किता 7 कुल रकबा 0.84 हैक्टैयर भूमि वाके ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील कोटखावादा जिला जयपुर राज0 में स्थिति है जिसके गत खसरा नम्बर 3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 12 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज हो गई है। संवंत 2039 से 2042 की जमाबन्दी में वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी तथा वादपत्र में यह भी अंकित किया कि संवंत 2058 से 2061 तक वादीगण के नाम भूमि लगी रही तथा संवंत 2062 से 2065 में बिना किसी आदेश के भूमि वादीगण के नाम अंकित कर दी गई तथा वाद पत्र में यह भी कथन किया कि दिनांक 15.05.2012 को वादीगण के0सी0सी0 बनवाने के लिए जमाबन्दी आदि निकलवाने तहसील कार्यालय में गये तो वहां वादीगण को उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई। वादपत्र में वादीगण ने यह अनुतोष चाहा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

कि वाद वादीगण का विरू0 प्रतिवादीगण घोषणा का डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित भूमि को वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को हिस्से 1/3 का तथा वादी संख्या 3 लगायत 6 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री करने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थं न्यायालय के समक्ष वाद दायर करता है, तो उसे सन्देह से परे अपने वाद को साबित करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण अंकित किये वादीगण का वाद प्रमाणित मानकर डिक्री करने के आदेश कर दिये इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादीगण की कमजोरियों के आधार पर किसी दावे को डिक्री नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि भूमि प्रतिवादीगण ने किस आधार पर प्रतिवादीगण ने अंकित करवाई यह प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाये। जबकि उक्त तथ्य वादीगण को साबित करना था, कि प्रतिवादीगण के नाम भूमि गलत रूप से अंकित हुई है। इसके संबंध में वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। वादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिससे वशीभूत होकर अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण का दावा डिक्री करना पडता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व मौके व कब्जे की कोई जाच नही की है जबकि वादग्रस्त भूमि वर्षो से अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, भूमि का वो उपयोग व उपभोग करते है तथा भूमि का हर प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया कि वादीगण द्वारा सम्पूर्ण वाद पत्र में मिन प्रतिवादीगण के हक में हुए इन्द्राज को फर्जी बताया है जबकि फर्जी होने के संबंध में उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ना ही फर्जी होने के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई फौजदारी कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की कोई बहस नहीं सुनी तथा मनमाने तरीके से रेस्पोडेंट को लाभ पहुचांने की गर्ज से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अपीलान्टस द्वारा अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर राज0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादी द्वारा अपने वाद को साबित नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य में रामकल्याण का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें जिरह में भूमि के खसरा नम्बर का कोई ज्ञान नहीं होना कथन किया है। दूसरी ओर प्रतिवादीगण अपीालन्टस की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किये गये हैं। राहिन बैंक को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी की कमजोरी का सहारा लेकर वाद को साबित

नहीं किया जा सकता है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सारभूत विधिक त्रुटि कारित की गई है इसलिए अपील स्वीकार की जाकर निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंटस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि संवंत 2039–42 की जमाबन्दी में वादीगण के नाम दर्ज है जो संवंत 2058–61 तक वादीगण के नाम रही है। तत्पश्चात् बिना किसी सक्षम आदेश के जमाबन्दी संवंत 2062–65 में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जवाब दावा में भी भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण की खातेदारी में होने संबंधी कोई कथन नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकीवार विवेचन उपरान्त पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं जवाब दावे के आधार पर तीन तनकियां कायम की गई है। वादीगण के दावे के समर्थन में ग्राम गोविन्दपुरा की ईएक्सपी–1 जमाबन्दी सम्वत 2066–69, ईएक्सपी–2 जमाबन्दी सम्वत 2062–65, ईएक्सपी–3 जमाबन्दी सम्वत 2058–61, ईएक्सपी–4 व ईएक्सपी–5 मिलान क्षेत्रफल, ईएक्सपी–6 जमाबन्दी सम्वत 2039–42 के दस्तावेज पेश किये गये। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। तनकीवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

तनकी नम्बर 1– आया वादग्रस्त आराजी चौसला संम्वत 2062–65 में बिना आदेश प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गई?

इस तनकी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किया गया है कि "इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, जो वादीगण द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2039–42, सम्वत 2058–61 की बतौर साक्ष्य दस्तावेज पेश की गयी, जो सम्वत 2039–42 तथा सम्वत 2058–61 तक वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज है, जिनमें सम्वत 2039–42 वादीगण काबिज काश्त थे, रिकॉर्ड में रामकल्याण, रामकुवांर, गोपाल पिता मूल्या दर्ज था, जो सम्वत 2058–61 तक वादीगण के नाम रही व रामकुंवार पुत्र मूल्या के फौत हो जाने पर आपके वारिस वादी नम्बर 3 लगायत 6 खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त रहे सम्वत 2062–65 में उक्त वादग्रस्त आराजी बिना किसी आदेश के नामान्तरकरण व बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के नाम लगा दी, इस बाबत् प्रतिवादीगण के नाम किस आधार पर नाम लगी, इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किय, न ही वादी जिरह रामकल्याण से व प्रतिवादीगण गवाह द्वारा बताने में असमर्थ रहे कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम लगी, जबकि गवाह रामकल्याण शुरू से ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। इस बाबत भी जिरह में प्रतिवादीगण के वकील द्वारा रामकल्याण से प्रतिवादीगण का कब्जा होने बाबत् नहीं कहलवा सके, जबकि गवाह प्रतिवादीगण रतन, ग्यारसीलाल ने जिरह में वादीगण के नाम रहने के बाबत् जानकारी होना नहीं बताया व गवाह ग्यारसीलाल ने जिरह में बताया कि 8–10 साल पहले जमीन हमारे नाम लगी थी, किन्तु ये बताने में असमर्थ रहा कि जमीन हमारे नाम किस आधार पर लगी, साथ ही जिरह में ग्यारसीलाल ने ये कहा कि वादग्रस्त जमीन वादीगण से हमारे पिताजी ने नहीं ,खरीदी, न ही नामान्तरकरण व अन्य दस्तावेज पेश किये, जिससे साबित हो सके कि वादग्रस्त जमीन प्रतिवादीगण के नाम लगी, इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2039–42 तथा सम्वत 2058–61 व गवाहों

के बयानों से भली प्रकार से वादीगण तनकी नम्बर 1 साबित करने में सफल रहने से तनकी नम्बर 1 विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उपयुक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप है। वादग्रस्त भूमि सम्वत 2058–61 तक वादीगण अपीलान्ट्स के नाम रही है तथा सम्वत 2062–65 की जमाबन्दी में प्रतिवादीगण अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किया गया है परन्तु उक्त इन्द्राज के संबंध में किसी प्रकार का सक्षम आदेश प्रतिवादीगण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी जो वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है तथा इस निष्कर्ष को यथावत रखा जाता हैं।

तनकी नम्बर 2– आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है, जो पूर्णतया सही दर्ज है ?

इस तनकी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किया गया है कि ''इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जो कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वादीगण से प्रतिवादीगण के नाम किस आधार पर आयी, न तो नामान्तरकरण पेश किये, न ही कब्जे के बाबत् कोई दस्तावेज पेश किये गये। प्रतिवादी गवाह ने जिरह में 8–10 साल पहले अपने नाम आना बताया है, जबकि इस बाबत् कोई दस्तावेज पेश किये एवं जिरह में भी कहा है कि मेरे पिताजी ने जमीन नहीं खरीदी है। जबकि वादीगण द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2039–42 व सम्वत 2058–61 तक वादीगण के नाम होने बाबत् पेश की गई है। प्रतिवादीगण के नाम जमीन रहन होने बाबत् भी धारा 43 (5) व 63 भी लागू नहीं होता है, न ही प्रतिवादीगण कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात व गवाहों के बयानों के आधार पर तनकी नम्बर 2 वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादीगण के पक्ष में निर्णित किया गया है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में हुए राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के संबंध में कोई सक्षम आदेश अथवा विक्रय विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी के निष्कर्ष को भी यथावत रखा जाता है। उपर्युक्त तनकीवार निष्कर्ष के उपरान्त अनुतोष के रूप में वादीगण का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित होना नहीं पाया जाता है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील में सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम होना एवं वादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध नहीं किये जाने का आधार लिया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए इन्द्राज को चुनौती देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में हुए इन्द्राज परिवर्तन के समर्थन में कोई सक्षम आदेश अथवा विक्रय आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अपील में लिये गये आधार चलने योग्य नहीं है तथा अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 23–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर